पर्यावरण और वन मंत्रालय

मांग संख्या 24

पर्यावरण और वन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		740.80	111.00	851.80	840.80	122.28	963.08	967.21	121.05	1088.26
पूंजी		59.20	...	59.20	59.20	...	59.20	22.79	...	22.79
जोड़		**800.00**	**111.00**	**911.00**	**900.00**	**122.28**	**1022.28**	**990.00**	**121.05**	**1111.05**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	8.13	8.13	...	7.84	7.84	...	8.44	8.44
वानिकी और वन्यजीवन										
2. शिक्षा और प्रशिक्षण										
2.01 राज्य वन रेंजर्स महाविद्यालय	2406	8.90	6.98	15.88	11.80	6.82	18.62	1.00	7.06	8.06
	4406	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	*8.90*	*6.98*	*15.88*	*11.80*	*6.82*	*18.62*	*1.50*	*7.06*	*8.56*
2.02 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	2406	...	...	...	...	...	...	2.71	...	2.71
	4406	...	...	...	...	...	...	4.79	...	4.79
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*7.50*	...	*7.50*
2.03 भारतीय वन सेवा प्रशिक्षण	2406	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
2.04 भारतीय वन प्रंबध संस्थान	2406	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
जोड़-शिक्षा और प्रशिक्षण		**8.90**	**6.98**	**15.88**	**11.80**	**6.82**	**18.62**	**13.00**	**7.06**	**20.06**
3. अनुसंधान										
3.01 भारतीय अनुसंधान और शिक्षा संस्थान	2406	49.15	11.01	60.16	44.92	11.00	55.92	34.00	11.34	45.34
3.02 भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान	2406	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	जोड़	*49.15*	*11.01*	*60.16*	*44.92*	*11.00*	*55.92*	*36.00*	*11.34*	*47.34*
4. वन्य संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग भारतीय वन सर्वेक्षण	2406	4.00	5.40	9.40	3.71	5.17	8.88	4.50	5.49	9.99
	4406	...	...	...	...	...	...	2.50	...	2.50
	जोड़	*4.00*	*5.40*	*9.40*	*3.71*	*5.17*	*8.88*	*7.00*	*5.49*	*12.49*
5. वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन										
5.01 पुनर्जनन-वन प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	2406	4.50	...	4.50	5.66	...	5.66	5.00	...	5.00
	4406	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	जोड़	*4.50*	...	*4.50*	*5.66*	...	*5.66*	*7.00*	...	*7.00*
5.02 एकीकृत वन संरक्षण योजना	2406	...	...	...	...	...	...	1.60	...	1.60
	3601	19.25	...	19.25	19.25	...	19.25	30.40	...	30.40
	जोड़	*19.25*	...	*19.25*	*19.25*	...	*19.25*	*32.00*	...	*32.00*
जोड़-वन संरक्षण विकास और पुनर्जनन		**23.75**	**...**	**23.75**	**24.91**	**...**	**24.91**	**39.00**	**...**	**39.00**
6. वन्य जीव संरक्षण										
6.01 भारतीय वन्य जीव संस्थान	2406	20.50	1.65	22.15	19.52	1.57	21.09	7.00	1.65	8.65
	3601	77.05	...	77.05	79.03	...	79.03	...	...	...
	जोड़	*97.55*	*1.65*	*99.20*	*98.55*	*1.57*	*100.12*	*7.00*	*1.65*	*8.65*
6.02 प्रोजेक्ट टाइगर	3601	...	...	...	...	...	...	22.00	...	22.00
6.03 वन्य जीवन प्रभाग और विशेष कृतिक बलों के लिए परामर्श सुदृढ़ करना	2406	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
6.04 प्रोजेक्ट ऐलीफेंट	2406	...	...	...	...	...	...	0.27	...	0.27
	3601	...	...	...	...	...	...	6.73	...	6.73
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*7.00*	...	*7.00*
6.05 केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण	2406	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
6.06 महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों के आसपास आर्थिक विकास	2406	...	...	...	...	...	...	2.25	...	2.25
	3601	...	...	...	...	...	...	42.75	...	42.75
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*45.00*	...	*45.00*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
6.07 राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज के विकास के लिए सहायता	2406	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	3601	...	...	...	...	...	...	23.00	...	23.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*24.00*	...	*24.00*
6.08 संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवन का संरक्षण	2406	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*5.00*	...	*5.00*
जोड़-वन्य जीवन संरक्षण		**97.55**	**1.65**	**99.20**	**98.55**	**1.57**	**100.12**	**120.00**	**1.65**	**121.65**
7. प्राणी विज्ञान उद्यान	2406	0.50	3.01	3.51	0.80	3.01	3.81	...	3.15	3.15
	3601	15.35	...	15.35	18.00	...	18.00	...	...	...
	जोड़	*15.85*	*3.01*	*18.86*	*18.80*	*3.01*	*21.81*	...	*3.15*	*3.15*
8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2406	...	0.72	0.72	0.29	0.72	1.01	...	0.72	0.72
9. राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम										
9.01 राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड	2406	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	7.50	...	7.50
9.02 समेकित वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास परियोजनाएं	2406	30.00	...	30.00	30.99	...	30.99	...	...	...
	3601	38.00	...	38.00	38.50	...	38.50	...	...	...
	जोड़	*68.00*	...	*68.00*	*69.49*	...	*69.49*	...	...	...
9.03 ईंधन काष्ठ और चारा परियोजनाएं	3601	22.00	...	22.00	19.52	...	19.52	...	...	...
9.04 औषधीय पौधों सहित लघु वन वृक्षारोपण	3601	16.50	...	16.50	17.49	...	17.49	...	...	...
9.05 राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम	2406	...	...	...	...	...	...	139.00	...	139.00
9.06 ग्रीनिंग इंडिया प्रोग्राम	3601	...	...	...	...	...	...	1.50	...	1.50
9.07 रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	2406	...	...	...	...	...	...	1.50	...	1.50
	3601	...	...	...	...	...	...	1.50	...	1.50
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*3.00*	...	*3.00*
9.08 अन्य कार्यक्रम	2406	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	...	...	...
	3601	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70	...	...	...
	जोड़	*2.20*	...	*2.20*	*2.20*	...	*2.20*	...	...	...
9.09 सिविल विंग (वानिकी)*	4406	6.00	...	6.00	6.50	...	6.50	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम		**120.70**	**...**	**120.70**	**121.20**	**...**	**121.20**	**151.00**	**...**	**151.00**
जोड़-वानिकी और वन्यजीवन		**319.90**	**28.77**	**348.67**	**324.18**	**28.29**	**352.47**	**366.00**	**29.41**	**395.41**
पारिस्थितिकी और पर्यावरण										
10. सर्वेक्षण										
10.01 भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण	3435	4.00	11.36	15.36	4.39	12.00	16.39	5.15	12.39	17.54
	5425	...	...	...	...	...	...	4.85	...	4.85
	जोड़	*4.00*	*11.36*	*15.36*	*4.39*	*12.00*	*16.39*	*10.00*	*12.39*	*22.39*
10.02 भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण	3435	4.00	9.26	13.26	4.39	9.44	13.83	4.85	9.74	14.59
	5425	...	...	...	...	...	...	3.15	...	3.15
	जोड़	*4.00*	*9.26*	*13.26*	*4.39*	*9.44*	*13.83*	*8.00*	*9.74*	*17.74*
कुल-सर्वेक्षण		**8.00**	**20.62**	**28.62**	**8.78**	**21.44**	**30.22**	**18.00**	**22.13**	**40.13**
11. पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार										
11.01 पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण योजना	3435	12.80	0.78	13.58	13.05	0.72	13.77	19.00	0.75	19.75
11.02 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	3435	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
	5425	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*6.00*	...	*6.00*
जोड़-पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार		**12.80**	**0.78**	**13.58**	**13.05**	**0.72**	**13.77**	**25.00**	**0.75**	**25.75**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
12. सरंक्षण कार्यक्रम										
12.01 जीव मंडल प्रारक्षण	3435	8.50	...	8.50	5.93	...	5.93	2.37	...	2.37
	3601	8.00	...	8.00	8.10	...	8.10	2.63	...	2.63
	जोड़	*16.50*	*...*	*16.50*	*14.03*	*...*	*14.03*	*5.00*	*...*	*5.00*
12.02 क्षेत्रीय वानस्पतिक उद्यानों के लिए सहायता	3435	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
12.03 मैंग्रोव पारिस्थितिकी व्यवस्थाएं और वेट लैंडस	3435	...	...	...	...	...	...	1.30	...	1.30
	3601	...	...	...	...	...	...	6.70	...	6.70
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*8.00*	*...*	*8.00*
जोड़-संरक्षण कार्यक्रम		**16.50**	**...**	**16.50**	**14.03**	**...**	**14.03**	**15.00**	**...**	**15.00**
13. पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय										
13.01 पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय	3435	7.85	1.76	9.61	7.99	1.73	9.72	2.00	1.74	3.74
13.02 उत्कृष्टता केन्द्र	3435	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
	जोड़	*7.85*	*1.76*	*9.61*	*7.99*	*1.73*	*9.72*	*10.00*	*1.74*	*11.74*
14. अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्जनन										
14.01 अनुसंधान और विकास	3435	18.10	...	18.10	18.74	...	18.74	4.00	...	4.00
14.02 जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	3435	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00
14.03 पारिस्थितिकी-विकास बल	3435	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
	जोड़	*18.10*	*...*	*18.10*	*18.74*	*...*	*18.74*	*20.00*	*...*	*20.00*
15. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	3435	1.15	1.23	2.38	1.15	1.57	2.72	1.50	1.23	2.73
प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण										
16. गंगा के प्रदूषण की रोकथाम										
16.01 राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	3435	190.95	...	190.95	298.77	...	298.77	6.00	...	6.00
16.02 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	3435	...	...	...	...	...	...	254.00	...	254.00
16.03 राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	3435	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*190.95*	*...*	*190.95*	*298.77*	*...*	*298.77*	*290.00*	*...*	*290.00*
17. वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम										
17.01 जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण (उपकर)	3435	...	42.62	42.62	...	53.72	53.72	...	50.11	50.11
17.02 पर्यावरण प्राधिकरण और पर्यावरण आयोग और न्यायाधिकरण की स्थापना	3435	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
17.03 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	3435	...	...	...	...	...	...	22.00	...	22.00
17.04 सामान्य बर्हिस्त्राव उपचार संयत्रों का संवर्द्धन	3435	...	...	...	...	...	...	2.47	...	2.47
17.05 प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं	3435	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
17.06 अन्य स्कीमें	3435	30.90	7.00	37.90	32.90	6.93	39.83	1.60	7.19	8.79
	जोड़	*33.40*	*49.62*	*83.02*	*35.40*	*60.65*	*96.05*	*38.57*	*57.30*	*95.87*
18. प्रभाव मूल्यांकन										
18.01 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम	3435	8.60	0.09	8.69	5.10	0.04	5.14	2.00	0.05	2.05
18.02 स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन	3435	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
	जोड़	*8.60*	*0.09*	*8.69*	*5.10*	*0.04*	*5.14*	*6.00*	*0.05*	*6.05*
जोड़-प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण		**232.95**	**49.71**	**282.66**	**339.27**	**60.69**	**399.96**	**334.57**	**57.35**	**391.92**
19. अन्य कार्यक्रम	3435	1.00	...	1.00	1.64	...	1.64	3.00	...	3.00
19.01 प्रदूषण का शमन	3435	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19.02 ताज संरक्षण मिशन	3601	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	25.00	...	25.00
	जोड़	*35.00*	*...*	*35.00*	*35.00*	*...*	*35.00*	*25.00*	*...*	*25.00*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
19.03 पर्यावरणीय आयोग और न्यायाधिकरण	3435	0.50	...	0.50	0.04	...	0.04	...	...	...
19.04 खतरनाक पदार्थ प्रबंध	3435	4.00	...	4.00	4.99	...	4.99	9.00	...	9.00
	3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	...	...	...
	जोड़	*4.05*	*...*	*4.05*	*5.04*	*...*	*5.04*	*9.00*	*...*	*9.00*
19.05 प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	3435	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	1.00	...	1.00
19.06 पर्यावरण सुधार परियोजना	3435	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	...	...	...
19..07 भारत कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना	3435	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
19.08 भारतीय पर्यावरण-प्रबंध क्षमता निर्माण तकनीकी परियोजनाएं	3435	32.00	...	32.00	25.00	...	25.00	38.00	...	38.00
19.09 शहरी पर्यावरण प्रबंध परियोजना	3435	1.00	...	1.00	0.33	...	0.33	...	...	...
19.10 भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-पर्यावरण समर्थन कार्यक्रम	3435	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00
19.11 वर्गीकरण क्षमता निर्माण परियोजना	3435	1.50	...	1.50	1.10	...	1.10	1.00	...	1.00
19.12 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-डाइवर्सिटी	3435	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19.13 बायोडाइवरसिटी संरक्षण	3435	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
19.14 सूचना प्रौद्योगिकी	3435	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
19.15 वातावरण परिवर्तन परियोजना	3435	...	...	...	...	...	...	12.00	...	12.00
19.16 सिविल निर्माण एकक	5425	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
19.17 अन्य	3435	7.54	...	7.54	5.00	...	5.00	1.92	...	1.92
	जोड़	*89.55*	*...*	*89.55*	*80.11*	*...*	*80.11*	*100.93*	*...*	*100.93*
20. पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर पूंजी परिव्यय	5425	13.20	...	13.20	12.70	...	12.70	...	...	...
21. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एक मुश्त प्रावधान	2552	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	99.00	...	99.00
	4552	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	...	...	...
	जोड़	*80.00*	*...*	*80.00*	*80.00*	*...*	*80.00*	*99.00*	*...*	*99.00*
जोड़-पारिस्थितिकी और पर्यावरण		**480.10**	**74.10**	**554.20**	**575.82**	**86.15**	**661.97**	**624.00**	**83.20**	**707.20**
कुल जोड़		***800.00***	***111.00***	***911.00***	***900.00***	***122.28***	***1022.28***	***990.00***	***121.05***	***1111.05***

**4406 के तहत 2002-2003 आयोजना आंकड़े योजना 2.01, 2.02 4 और 5.01 के तहत संवितरित किए गए है।*

ग. योजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. वानिकी और वन्य जीवन	12406	319.90	...	319.90	324.18	...	324.18	366.00	...	366.00
3. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	13435	400.10	...	400.10	495.82	...	495.82	525.00	...	525.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	99.00	...	99.00
जोड़		**800.00**	**...**	**800.00**	**900.00**	**...**	**900.00**	**990.00**	**...**	**990.00**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं** : इसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिवालय के लिए व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **शिक्षा तथा प्रशिक्षण** :-

(क) **राज्य वन सेवा महाविद्यालय** : देहरादून, बर्नीहाट और कोयम्बटूर में 3 राज्य वन सेवा महाविद्यालय स्थित हैं। ये महाविद्यालय, एस.एफ.एस. अधिकारियों के लिए दो वर्षीय पाठ्यक्रम चलाते हैं।

(ख) **रेंजर्स कालेज** : रेंजर्स कालेज कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल) में स्थित है। यह कालेज राज्य वन विभागों के रेंज अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।

(ग) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून** : यह अकादमी देहरादून स्थित भारतीय वन महाविद्यालय का उन्नयन करके तथा इसको वन अनुसंधान संस्थान से असम्बद्ध करके 25.5.1987 को स्थापित की गई थी। अकादमी में भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) **भारतीय वन प्रबंध संस्थान** : इस संस्थान की छठी योजना के दौरान एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापना की गई थी ताकि वन्य आधारित उत्पादों तथा वृहत् वानिकीकरण के संरक्षण, स्थान और समय के अनुसार इसके इष्टतम उपयोग और उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि और विशेष वन कार्यक्रम से संबंधित प्रबन्धकीय कुशलता तथा विशेष योग्यता का विकास किया जा सके।

3. **अनुसन्धान** : यह व्यवस्था निम्नलिखित से सम्बन्धित हैः-

(क) भारत में वर्तमान वनक्षेत्र को संरक्षित करने तथा वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 31.12.1986 को भारतीय वानिकी अनुसन्धान और शिक्षा परिषद की स्थापना करके वानिकी अनुसंधान को पुनर्गठित किया गया था। आई. सी. एफ. आर. ई. को दिनांक 1.6.1991 से स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है। वन-अनुसंधान संस्थान, देहरादून एक श्रेष्ठ अनुसंधान केन्द्र है। इसके अतिरिक्त, आई.सी.एफ.आर.ई. के विभिन्न क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए देश के विभिन्न पर्यावरणीय-भौगोलिक क्षेत्रों में निम्नलिखित पांच संस्थान हैंः

i) काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर
ii) वन-आनुवंशिकी और वृक्ष उत्पादन संस्थान, कोयम्बटूर
iii) अस्थायी वन संस्थान, जबलपुर
iv) शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
v) वर्षा तथा आर्द्र अस्थायी वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट

(ख) भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान संस्था, बंगलौर की स्थापना प्लाइवुड उद्योग और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 1963 में हुई थी।

4. **वन संसाधनों के सर्वेक्षण और उपयोग** : भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून नियमित अंतराल पर व्यापक वन संसाधन सर्वेक्षण करता है तथा राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर आयोजना के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करता है जिसमें सरल वैज्ञानिक वानिकी आयोजना के लिए सूची के द्वारा किया गया मूल्यांकन भी शामिल है।

5. **वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन** : यह अन्धाधुन्ध वन कटाई को रोकने और वन भूमि को वन-भिन्न उपयोग में परिवर्तित करने को रोकने के लिए चल रहा कार्यक्रम है। वनों के प्रभावी संरक्षण के लिए वन संरक्षण बल को सुदृढ़ बनाने, चराई पर नियंत्रण, सिर पर लकड़ी की गठरियों के रूप में ईधन लकड़ी ले जाने पर प्रतिबंध और वैकल्पिक ईधन की पूर्ति का पता लगाया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैंः-

(क) एकीकृत वन संरक्षण योजना जिसके तहत मुख्य संघटक वन अग्नि नियंत्रण और प्रबंध तथा बुनियादी ढांचा विकास है।

(ख) **वन प्रभागों को सुदृढ़ करना।**

6. **वन्य जीवन संरक्षण** : भारतीय वन्य जीवन संस्थान, देहरादून अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रशिक्षण तथा सेवाकालीन शिक्षा प्रदान करता है तथा वन्य जीवन पर दो वर्षीय एम.एस.सी. पाठयक्रम का आयोजन भी करता है। योजना अवैध शिकार और वन्य जीवन उत्पादों में अवैध व्यापार और गैंडों के संरक्षण सातवीं योजना के दौरान दो पृथक योजनाओं के रूप में विद्यमान थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसरण में इन योजनाओ को राज्यक्षेत्र को सौंप दिया गया। लेकिन गैंडों से सम्बन्धित योजना को हस्तांतरित करने का कार्य अनुपयोगी सिद्ध हुआ इसलिए योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है अवैध शिकार के नियंत्रण से सम्बन्धित योजना सुबह्मणियम समिति की सिफारिशों के आधार पर पुनर्जीवित की जा रही है।

वन्य जीवन के संरक्षण के लिए संचालित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में 'प्रोजेक्ट टाइगर' 'राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों का विकास' 'प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों का पारिस्थितिकीय विकास' और 'प्रोजेक्ट एलीफेंटल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल वन्य जीवन की लुप्त प्रायः जातियों बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी व्यवस्था को भी संरक्षित करना है। अंतिम दो योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा वन्य उत्पादों पर उन की निर्भरता को कम करना भी है। योजनाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से लगे हुए क्षेत्रों में आयोजना के जरिए विभिन्न विशेष सुविधाओं को बढ़ाना भी है। दसवीं योजना से राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में विलय कर दिया गया है।

7. **प्राणी उद्यानः** राष्ट्रीय प्राणी उद्यान लुप्त होते जा रहे पशुओं के संरक्षण और प्रजनन का कार्य करता है और उनके व्यवहार, पुनर्जनन और पोषाहार के संबंध में अनुसंधान भी करता है।

8. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** : इस स्कीम के अंतर्गत, वन उद्योग और वन्य जीवन से संबंधित विविध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

9. **राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम** : राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना अगस्त, 1992 में देश में वानिकीकरण संवर्धन, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी पुनः स्थापन और पारिस्थितिकी विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ हुई। विकृत वन क्षेत्रों और भूमि के सम्पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनमें वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों, अभ्यारणों और अन्य सुरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाटों आदि जैसे पारिस्थितिकी से संबंधित कमजोर क्षेत्र शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के तहत आने वाली मुख्य स्कीमें हैंः राष्ट्रीय वानिकीकरण योजना ग्रीनिंग इंडिया, रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम।

10.**सर्वेक्षण-**

10.01 **वनस्पतिः** भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, निम्नलिखित कार्यों को देखता है (क) देश के सम्पूर्ण वनस्पति संसाधनों का सर्वेक्षण (ख) देश की सभी वनस्पतियों का सम्पूर्ण क्षमता अध्ययन। (ग) लुप्त होते जा रही प्रजातियों की सूची तैयार करना और उनके कारगर संरक्षण के लिए उपाय करना और (घ) मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से और अन्यथा उपयोगी प्रजातियों का पता लगाना संग्रह और संरक्षण करना।

10.02 **प्राणी विज्ञानः** भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, समुद्री जन्तुओं सहित जन्तु समूहों के वर्गीकरण, पशु पारिस्थितिकी प्राणी विज्ञान में समूह सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य के लिए जिम्मेदार है। इसके मुख्य उद्देश्य हैः- (क) वनस्पति संसाधनों की खोज और सर्वेक्षण, (ख) क्षमता अध्ययन, (ग) लुप्त हो रही प्रजातियों का प्रास्थिति सर्वेक्षण।

11. **पर्यावरण संबंधी शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार** : यह मंत्रालय प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आदि के माध्यम से लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों को पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करने के कार्य को प्राथमिकता देता है। यह मंत्रालय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल स्तर पर और कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करके पर्यावरण संबंधी शिक्षा के संवर्धन का कार्य भी कर रहा है। योजना के अंतर्गत आने वाली प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं (क) राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (ख) ईको क्लब (राष्ट्रीय हरित फसलें) और (ग) जन जागरूकता।

इस मंत्रालय के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ऐसा केन्द्र है जो स्कूल जाने वाले बच्चों को देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जरूरत संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने और संवर्धन की दृष्टि से, पारिस्थितिकी, वन्य जीवन और पर्यावरण संबंधी संरक्षण के क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है ।

12. **संरक्षण कार्यक्रमः** इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली मुख्य स्कीमें इस प्रकार हैंः- आद्रभूमि और कच्छ वनस्पति का संरक्षण और प्रबंध, जीवमंडल प्रारक्षण और क्षेत्रीय वनस्पतिक उद्यानों के लिए सहायता।

13. **पर्यावरण संबंधी आयोजना और समन्वयः** इस कार्यक्रम के तहत मुख्य योजनाएं पर्यावरणीय सूचना प्रणाली (ई एन वी आई एस) और सैंटर ऑफ एक्सीलैंस हैं। ई एन वी आई एस के तहत पर्यावरणीय सूचना एकत्रित करके मिलाई जाती है और 25 संबंधित विशिष्ट ई एन वी आई एस केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए प्रयोक्ताओं की विशाल संख्या को प्रसारित की जाती है।

14. **अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनर्जननः** इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, विभिन्न संगठनों द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है। इस मंत्रालय का लक्ष्य पारिस्थितिकी के विकास, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी प्रणाली के पुनरूत्थान और विकृत क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पुनर्जनन में विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों की अधिक सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना है।

15. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** :- इसमें पर्यावरण संबंधी अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनर्जनन के विकास के लिए कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए जाने वाले अंशदान का प्रावधान किया गया है।

16. **गंगा के प्रदूषण का निवारण** : सभी राष्ट्रीय नदियों और झीलों को कवर करने के लिए "गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथान और नियंत्रण" सम्बन्धी पूर्ववर्ती स्कीम के क्षेत्र को विस्तृत लिया गया है। राष्ट्रीय नदियों की प्रदूषित धाराओं की सफाई करने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक कार्य

योजना बनाई गई है। कार्य संबंधी प्रमुख कार्यक्रम विपथन, सीवर की सफाई और पम्प सैटों के नवीकरण से संबंधित है। आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित स्कीमें इस प्रकार हैंः (i) नदी में गिरते हुए गंदे पानी को रोकना और उसका विपथन (ii) जैव-ऊर्जा जैसे संसाधन प्राप्त करने के साथ गन्दे जल का शोधन (iii) कम लागत पर सफाई, जैविक संरक्षण आदि जैसे अन्य सफाई संबंधी उपाय। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत 11 शहरी झीलों को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए संरक्षण हेतु चिन्हीकृत किया गया है।

17. **वायु और जल प्रदूषण का निवारण** - इस प्रावधान में शामिल हैंः केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को सहायता अनुदान; राज्य सरकारों/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता और प्रदूषण संगत योजनाओं का वित्तपोषण।

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इस प्रावधान में सामान्य अपगामी अभिक्रिया संयंत्रों के संवर्धन के लिए दिया गया अनुदान शामिल है।

दसवीं योजना के तहत आयोजना स्कीमों अर्थात पर्यावरणीय लेखापरीक्षा, पर्यावरणीय सांख्यिकी, और नक्शा निर्माण और लघु उद्योगों द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का संरक्षणात्मक कार्यनीतियों के जरिए औद्योगिक प्रदूषण उपमिशन के रूप में विलय किया गया।

18. **प्रभाव-मूल्यांकनः** इस कार्यक्रम के तहत मुख्य योजनाएं हैं : पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और प्रदूषण रोधी प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्द्धन। विकास परियोजनाओं की 30 श्रेणियों के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति को अनिवार्य बना दिया गया है। वर्ष 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना का पालन करते हुए सवेंदी क्षेत्रों के परिरक्षण हेतु देश के तटीय खण्डों में कई कार्य कलाप शुरू किए जा रहे हैं।

19. **अन्य कार्यक्रमः**
इन स्कीमों यथा, ताजमहल के संरक्षण सहित प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहायता, पर्यावरण आयोग और न्यायाधिकरण तथा खतरनाक पदार्थ प्रबंध का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, केन्द्रीय/राज्य अनुसंधान संस्थानों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों/संगठनों को प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी तकनीकी दक्षता से सहायता प्रदान करना है।

19.02 **ताज संरक्षण मिशनः** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, इस मंत्रालय ने ताजमहल के पर्यावरणीय संरक्षण का काम शुरू किया है। यह कार्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और किए जाने वाले आवश्यक पर्यावरणीय उपायों से संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। इस काम में ताजमहल के चारों तरफ हरित-पट्टी बनाना भी शामिल है। दसवीं योजना से इस स्कीम के क्षेत्र का अन्य महत्वपूर्ण स्मारक स्थलों के लिए भी विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है।

19.07 **भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना (आई सी ई एफ)** : आई.सी.ई.एफ. का गठन मार्च, 1994 में दिल्ली में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच संपन्न समझौता ज्ञापन के अधीन हुआ था। समझौते के तहत कनाडा द्वारा उपहार में दी गई और सरकारी खाते में डाली गई निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री प्राप्तियां भारत में पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आई.सी.ई.एफ. को दे दी जाती हैं।

19.08 **भारतीय पर्यावरण-प्रबंध क्षमता निर्माण परियोजनाः** इस परियोजना के अधीन केन्द्र बिन्दु बेहतर/संसूचित निर्णय करने की प्रक्रिया और पर्यावरणीय विधान लागू करने के लिए पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करना है।

19.10 **भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - पर्यावरण सहायता कार्यक्रमः** पर्यावरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को सहायता देने के लिए है और नौवीं योजना के विकेंद्रीकरण तथा जन-सहभागिता से संबंधित प्रमुख मुद्दे पर आधारित है।

19.11 **वर्गीकरण क्षमता निर्माण परियोजना-** वर्गीकरण कार्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अंतरों की पहचान करने के बाद वर्गीकरण में क्षमता निर्माण के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना तैयार की गई है।

19.12 **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-डाइवर्सिटी-** इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-डाइवर्सिटी देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के दुर्लभ जीन समूह का संरक्षण व अध्ययन करने के लिए स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिस में बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और प्राचीन पौधे और पशु शामिल हैं। क्षेत्र की वागबानी संबंधी चिकित्सीय सूक्ष्म जैविकीय प्रचुर मानवजातीय जानकारी, जो अभी तक पूर्णतः उपलब्ध नहीं थी, उजागर की जाएगी।

19.13 से 19.16 नई योजनाओं के लिए 19 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

20. **पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी पूंजी परिव्ययः** कोयम्बटूर और इलाहाबाद में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के मुख्य कार्यों और हैदराबाद, कालीकट, जबलपुर और सोलन में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के निर्माण कार्य व भुवनेश्वर और भोपाल में प्राकृतिक इतिहास के संबंधी क्षेत्रीय संग्रहालय के लिए प्रावधान किया गया है।

21. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधानः** यह प्रावधान वानिकी तथा वन्य जीवन के क्षेत्रों में स्कीमों के लिए किया गया है।